न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्याः— 07/2021

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
जीवणराम पुत्र स्व. श्री हराराम जाति जाट निवासी बड़ा बास ग्राम बीनावास, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. नारायणराम पुत्र हराराम 2. भीयाराम पुत्र हराराम 3. लिछमणराम पुत्र हराराम 4. सुवादेवी पत्नी भीयाराम 5. हारकी पत्नी जसाराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

— — — — —

उपस्थितिः— प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 6 सरकारी पैराकार।

:: आदेश :: **दिनांक**

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 3.9156 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 3.9642 [illegible] आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 25 है। जो प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी[illegible] सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

1/45 वॉ हिस्सा है तथा अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे प्रार्थना पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि **'ए'** से संबोधित किया गया। इसी प्रकार ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.1294 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 9.2145 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 9.3520 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 386 है। जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का 1/144 वॉ हिस्सा है तथा अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे प्रार्थना पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि **'बी'** से संबोधित किया गया। इसी प्रकार ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 8.6482 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 8.7210 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 222 है। जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का 1/20 वॉ हिस्सा है तथा अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे प्रार्थना पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि **'सी'** से संबोधित किया गया। इसी प्रकार ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 250 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.4045 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 7.8473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/2 रकबा 0.5663 हैक्टेयर कुल खसरा सख्या 4 कुल रकबा 8.8262 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 383 है। जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का 1/1[illegible] वॉ हिस्सा है तथा अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार का जमाबन्दी संवत् 2[illegible] से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे प्रार्थना पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि **'डी'** से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

संबोधित किया गया। इसी प्रकार ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 13.5588 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 200 रकबा 2.8234 हक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 2.2409 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 18.6231 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसके खाता संख्या 232 है। जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जाकाश्तसुदा कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी का 1/5 वॉ हिस्सा है तथा अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार का जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्सा है। जिसे प्रार्थना पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि **'ई'** से संबोधित किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण नारायणराम, स्व. जसाराम, लिछमणराम व भीयाराम आपस में सगे भाई है व हराराम जी के पुत्र है। जसाराम फौत हो चुके है उनके जीवित वारिशान उनकी पत्नी हारकी अप्रार्थी है। अप्रार्थी नारायणराम व जसाराम के आल औलाद नही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित प्रार्थी के हिस्से की भूमि व अप्रार्थीगण नारायणराम, जसाराम, जीवणराम, लिछमणराम व भीयाराम की वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पूर्व में उनके पिता हराराम जी के नाम से खातेदारीसुदा थी तथा हराराम जी फौत होने पर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित प्रार्थी के हिस्से की भूमि व अप्रार्थीगण नारायणराम, जसाराम, जीवणराम, लिछमणराम व भीयाराम की वर्णितानुसार हिस्से की भूमि उपरोक्त सभी के नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन द्वारा दर्ज हुई। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण नारायणराम, जसाराम, जीवणराम, लिछमणराम व भीयाराम की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णितानुसार यानि खाता संख्या 25, 386, 222, 383 व 232 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **ए,बी,सी,डी,ई** पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार का प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित हक व हिस्से यानि खाता संख्या 25, 386, 222, 383 व 232 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पर मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए,बी,सी,डी,ई का प्रार्थी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार के मध्य आज दिन तक न तो मौखिक बंटवाडा हुआ है व न ही लिखित व विधिवत बंटवाड़ा हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में सयुक्त रूप से प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार के हक व हिस्से के संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार ने आज दिन तक न तो प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही प्रार्थी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **ए,बी,सी,डी,ई** का विधिवत बंटवाड़ा किया। इसलिए प्रार्थी को अपने हक व हिस्से की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **ए,बी,सी,डी,ई** के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत कर दिया है। दिनांक 02.01.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **डी** पर बिना बंटवाड़ा किये व बिना आवासीय संपरिवर्तन किये ही विशेष भू भाग पर रहवास हेतु मकान का निर्माण कार्य करवाना शुरू कर दिया। इस हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क **डी** पर मकान के निर्माण हेतु नीवे खुदवाई तथा पत्थर भी डलवाये जिसके संबंध में फोटोग्राफ प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को उक्त निर्माण कार्य करने से मना किया तो अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य को बंद नही किया तथा प्रार्थी को इस आशय की धमकी दी कि यदि प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को कानूनी कार्यवाही कर रूकवाने की कोशिश की तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित य[illegible] खाता संख्या 25, 386, 222, 383

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

व 232 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि उनके हक व हिस्से की भूमि को बिना विधिवत बंटवाड़ा किये व पार्थी की बिना सहमति के अन्य सख्श को बैचान, हस्तान्तरण कर देंगे तथा प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए,बी,सी,डी,ई में स्थित प्रार्थी के हक व हिस्से से वंचित कर देंगे तथा मौके से जबरन बेदखल कर देंगे। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित यानि खाता संख्या 25, 386, 222, 383 व 232 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों व सम्पति अन्तरण अधिनियम में वर्णित प्रावधानों तथा धारा 22 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बिना बंटवाड़ा किये व बिना प्रार्थी की सहमति के अन्य सख्श को बैचान, हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मूलवाद के निर्णय तक के लिए प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थीगण व अन्य सहखातेदार की सयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए,बी,सी,डी,ई को बिना विधिवत् बंटवाड़ा कराये व बिना प्रार्थी की सहमति के अन्य सख्श को बैचान, वसीयत, बख्शीश वगैराह से हस्तान्तरण नही करे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए,बी,सी,डी,ई में स्थित प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 न तो स्वयं दखलन्दाजी करे तथा न ही अपने हाली एजेन्ट, नोकर, मजदूर, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, भूमाफिया, किराये के गुण्डों वगैराह से ही कोई दखलन्दाजी करावे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए,बी,सी,डी,ई के विशेष भू भाग पर किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण नही करे तथा जो निर्माण चल रहा है उसे तुरन्त रोक देवें तथा अप्रार्थी संख्या 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए,बी,सी,डी,ई के संबंध में कराये जाने वाले हस्तान्तरण/अन्तरण का पंजीयन नही करे तथा न ही ऐसे हस्तान्तरण/अन्तरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का रदोबदल करे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को उपस्थिति हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 5 उपस्थित नही होने पर तारीख पेशी दिनांक 13.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी व अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए और निवेदन किया कि वो प्रस्तुत प्रकरण में फोमल पक्षकार है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब देना नही चाहते है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओ को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि ए.बी.सी.डी.ई. में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित हिस्सा पूर्व में हराराम जी के नाम से दर्ज था तथा हराराम जी फौत होने पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम से जरिये फौ[illegible] दर्ज हुई। इस प्रकार उपरोक्त हिस्से की भूमि प्रार्थी [illegible] सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्[illegible] भूमि है, जिसे बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:53:58 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी की सहमति के बिना अप्रार्थीगण को बैचान करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये चाही गयी इस्तदुआ के अनुसार पाबन्द किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज चालु जमाबन्दी व फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 291, 297, 292, 300 से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए.बी.सी.डी.ई. का प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णितानुसार हिस्सा पूर्व में हराराम जी के नाम से दर्ज था तथा हराराम जी फौत होने पर उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये हराराम जी के स्थान पर अप्रार्थीगण का नाम दर्ज हुआ। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णितानुसार हिस्सा की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है तथा जो राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम से सयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। जिसका विधिवत् बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा धारा 22 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पुश्तैनी भूमि को अप्रार्थीगण प्रार्थी की सहमति के बिना बैचान नही कर सकते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पुश्तैनी भूमि उसे बैचान किये जाने के सम्बंध में विधिक नोटिस भी जरिये अधिवक्ता प्रेषित किया है, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :— प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसदा व अविभाजितसुदा तथा पुश्तैनी भूमि होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, यदि अप्रार्थीगण बिना विभाजन के तथा बिना प्रार्थी की सहमति के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वर्णित हिस्से की विवादग्रस्त कृषि भूमि को अन्य किसी को बैचान, हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रूपयों में नही आंका जा सकता। अतः उपरोक्त तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी जीवणराम की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 सें 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 से 6 में वणित प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्से की विवादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए.बी.सी.डी.ई. को बिना विधिवत् बंटवाड़ा के व बिना प्रार्थी की सहमति के अन्य किसी को हस्तान्तरित नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 6 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो विवादग्रस्त कृषि भूमि मार्क ए.बी. सी.डी.ई. के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा हस्तान्तरण के सम्बंध प्रस्तुत होने वाले किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 15:53:58 IST
Reason: SelfAttested